न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 127/2023 (धारा 76 भू राज0अधि01956) (RCMS No.2023/141)

1. (मृतक) ऊंकार पुत्र गौरया जाति मीना निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

1/1 कंचन पुत्री ऊंकार
1/2 जानकी पुत्री ऊंकार
1/3 मनभर बेबा रामराज
1/4 मुकुट पुत्र रामराज
1/5 मस्तराम पुत्र रामराज
1/6 अनीता बेबा मुकेश

} समस्त जातियान मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधेपुर।

1/7 अंकिता पुत्री मुकेश
1/8 संगीता पुत्री मुकेश

} नाबालिगान जरिये संरक्षका माता अनीता पत्नी मुकेश जाति मीना निवासी सारसोप , स0मा0

2. तुलसा पुत्री धूल्या जाति मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

3. किशना पुत्र गौरया
4. सोहन पुत्र गौरया
5. जगदीश पुत्र गौरया
6. जयराम पुत्र जंशी
7. भौल्या पुत्र भोज्या
8. हंसराज पुत्र कजोड
9. प्रेमनारायण पुत्र कजोड
10. राजेश पुत्र कजोड
11. शिवराज पुत्र कजोड
12. गोपाली बेबा कजोड

} जातियान मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाई माधोपुर।

13. बजरंगी पुत्री धूल्या जाति मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री मोहनलाल
2. रामचन्द्र पुत्र श्री गोपाल

} जाति मीना निवासीयान ग्राम चौरू तहत तहसील अलीगढ जिला टोंक(राज0)

3. तहसील तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 01.07.2016 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 876 वाकै ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः—

1. सुधीर कुमार जैन वकील अपीलान्ट।
2. श्री अब्दुल बहाव वकील अपीलान्ट।
3. श्री राधेश्याम बैष्णव वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा खातेदार गोरया की मृत्योपरान्त उसकी आराजी का विरासतन नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को अपीलान्ट ऊंकार, धूल्या, किशना, मोहना के हक में स्वीकार किया गया। जिसको रैस्पोडेन्टस प्रहलाद वगैरह के द्वारा तहत अदलत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष चुनौती दी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2016 पारित करते हुये यह माना कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 दौराने स्वीकृति विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है एवं विधिवत तरीके से मृतक खातेदार गोरया की विरासतन आराजी के संबध में उसके विधिक उत्तराधिकारियों की जांच नहीं की गई है, इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः तहसीलदार चौथ का बरबाडा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक गोरया खातेदार के जायज वारिसान की जांच मजमेंआम व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर की जाकर नये सिरे से विरासतन नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 01.07.2016 के खिलाफ अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2016 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में रैस्पोडेन्टस की ओर से एक अपील नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को चुनौती देते हुये पेश की थी।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.77 ग्राम सारसोप को निरस्त किया है तथा पत्रावली तहसीलदार चौथ का बरबाडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की है कि मृतक गोरया खातेदार के जायज वारिसान की जांच मजमेआम व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। अदालत मातहत ने नियमानुसार स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने में कानूनी भूल की है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 के विरूद्ध 35 वर्ष बाद रैस्पोडेन्ट की ओर से पेश की गई अपील को बिना किसी आधार के अन्दर मियाद माना गया है तथा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट जो कि उक्त नामान्तकरण में प्रभावित पक्षकार था को सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण अवहेलना है। अधीनस्थ न्यायालय की यह अवधारणा कतई गलत है कि वारिसान के नामान्तकरण खोलते वक्त मृतक के वारिसान की जॉच नहीं की गई। जबकि हल्का पटवारी ने वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम कॉलम संख्या 11 में लिखें है तथा कॉलम संख्या 16 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि "श्रीमान जी गोरया फौत हो चुका है। अतः उसके लडकों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश है।" इसकी जॉच श्री मुंशीलाल भू–अभिलेख निरीक्षक ने की है। कॉलम संख्या 11 में ऊंकार, धूल्या, किशना, मोहना के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गये हैं, जो मृतक खातेदार गोरया के लडके है और जायज वारिस है। ग्राम सारसोप एक छोटा सा गांव है बहुत बडा कस्बा अथवा शहर नहीं है, जिसमें वारिसान की जांच लम्बे स्तर पर की जाती। वारिसान की जॉच से सन्तुष्ट होकर नायब तहसीलदार ने नामान्तकरण को स्वीकार किया है। अतः नामान्तरकरण पर सजरा नहीं बनाना एवं सुनवाई का अवसर नहीं देने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के मद नम्बर 7 को ध्यानपूर्वक पढना चाहिऐ था और यह निर्धारित करना चाहिऐ था कि उक्त मद में वर्णित देरी का कारण क्षमा करने हेतु संतोषजनक व पर्याप्त है। अपील की मद संख्या 7 में मात्र दिनांक 26.08.2012 को सारसोप पटवारी के पास जमाबन्दी की नकल लेने जाना व अपीलान्टस का नाम देखने से प्रथम जानकारी होना बताया है, जो कतई सन्तोषजनक नहीं है। इस आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार करना प्रथम अपीलीय न्यायालय की भूल है। अतः इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत नजीर आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 421 इस प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होती है। इस नजीर में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णित करना चाहिए। जब रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर चलने योग्य नहीं थी तो इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए था

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न कि गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिऐ था। ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह तथ्य साफ हो जाता है कि न्यायालय ने मूल नामान्तरकरण को पढा तक नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 876 को राजस्व अभियान में मजमेंआम में ग्राम सारसोप में पेश होने पर तस्दीक किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि उक्त नामान्तकरण मजमेंआम में तस्दीक नहीं किया गया है, जो कि नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त नामान्तकरण मजमेंआम में पूछताछ के बाद स्वीकृत किया गया है। मृतक गोरया खातेदार को रैस्पोडेन्ट ने ना औलाद फौत होना बताया है परन्तु इसके समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जबकि नामान्तरकरण में गोरया के 4 लडके बताये गये हैं। एक लडके का नाम छूट जाने से बाद में जोडा गया है। पटवारी द्वारा जांच कर भरे गये नामान्तरकरण का खण्डन करने के लिये रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया और और न ही सजरा ही प्रस्तुत किया। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गोरया के वास्तविक वारिसान की जांच करना अपेक्षित मानकर पत्रावली को रिमाण्ड किया है, जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेर्जात को भी कतई नजर अंदाज किया है। अपीलान्टस ने खाता संख्या 55, खाता संख्या 56 जिमसें ऊंकार, धूलया, किशना, सोहन, जगदीश, पुत्रान गोरया मीना दर्ज है तथा खाता संख्या 57, खाता संख्या 165 खाता संख्या 834, 835 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की थी जिसमें गोरया के वारिसान अपीलान्टस को ही लिखा है। इस प्रकार अपीलान्टस जायज वारिस होने से उनके नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने में नायब तहसीलदार द्वारा कोई भूल नहीं की गई है। नामान्तरकरण संख्या 876 में कोई विधिक त्रुटी भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार मुकेश पुत्र रामराज मीना पौत्र ऊंकार मीना का राशनकार्ड की प्रति, सोहन पुत्र गोरया का पहचान पत्र, एवं ग्राम पंचायत सारसोप द्वारा दिनांक 22.2.2016 को जारी सजरा प्रमाण पत्र की भी अनदेखी करके इन दस्तावेजात का जिक्र तक अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया है जिससे यह फैसला दूषित हो जाता है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। रैस्पोडेन्ट ग्राम सारसोप के निवासी नहीं है। ग्राम सारसोप के निवासी होने का कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत का राशनकार्ड, वोटरलिस्ट की प्रति, मकान होने का प्रमाण पत्र किसी भी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा स्वयं ने अपीलान्टस का कब्जा होना अपील के मद संख्या 6 में माना है इसलिऐ गोरया के वारिसान अपीलान्ट का साबित होना रिकार्ड से साबित है। भूमि पर कब्जा भी अपीलान्टस का ही है तथा अपीलान्टस का ग्राम सारसोप का निवासी होना भी साबित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मृतक गोरया खातेदार के जायज वारिसान की जांच करना व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निर्णय देकर अहम भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाकर अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जावे तथा नायब तहसीलदार की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2016 रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है, क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में किसी तरह की कोई जॉच नहीं की गई है। वारिसान की जॉच के बिना भरा गया नामान्तकरण प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुए है। इस तरह के आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार के आदेश हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों व शपथ पत्र के आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानने के बाद अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। एक बार अधीनस्थ न्यायालय की ओर से मियाद के बारे में निर्णय किये जाने के बाद अपीलीय न्यायालय के स्तर से मियाद के बिन्दु को दुबारा नहीं देखा जाएगा। इस तरह के कई सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित किये गये हैं। एक मृतक खातेदार के विरासतन सम्पत्ति के सिलसिले में विरासतन सम्पत्ति को मात्र तकनीकी आधार पर अनदेखा किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। उक्त प्रकरण में न तो विधिवत मृतक खातेदार के वारिसानों की जांच की गई है और ना ही नामान्तरकण पर सजरा अंकित किया गया है और ना ही प्रभावित पक्षकारों को सुना गया है तथा नामान्तरकरण को मजमेआम में भी नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत ने प्रकरण को वास्तविक न्याय तक पहुंचाने की न्यायिक मंशा के मध्यनजर तहसीलदार को पुनः जॉच हेतु रिमाण्ड किया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि तहत अदालत ने इस प्रकरण में कोई अपना अन्तिम फैसला नहीं सुनाया है। वरन् प्रकरण में मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच हेतु रिमाण्ड किया गया है। ताकि यदि कोई तथ्य कोई बिन्दु या कोई वारिस छूट गया है तो उसको भी जांचोपरान्त वक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में कोई कमी नहीं रह सके। ऐसी स्थिति में तहत अदालत का फैसला दिनांक 01.07.2016 कानून के परिपेक्ष्य में ही पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है, क्योंकि मृतक के विधिक वारिसान की जॉच प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर नहीं की जाकर परीक्षण न्यायालय के स्तर पर ही की जाती है। इसी आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2016 यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 876 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि उक्त नामान्तकरण राजस्व अभियान में मजमेंआम में मृतक खातेदारान के वारिसान के संबंध में पूछताछ करने व जॉच के बाद खोला गया है। अपीलान्ट ने मृतक खातेदार के वारिस होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड न तो परीक्षण न्यायालय में और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसके बाबजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2016 निरस्त करते हुए नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.77 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील में प्रथम आधार यह लिया गया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने मियाद बाहर अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण को नियम विरूद्ध तहसीलदार को जॉच हेतु रिमाण्ड किया है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने मियाद के संबंध में यह उल्लेख किया है कि आलौच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश जारी करने से पूर्व न तो प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही मृतक खातेदार के वास्तविक वारिसान का सजरा ही नामान्तकरण पर अंकित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भी खण्डन नहीं किया गया है। इस आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय की ओर से मियाद के संबंध में लिये गये निर्णय को द्वितीय अपीलीय न्यायालय के स्तर पर परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त निर्णय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद के अन्दर माने जाने का पर्याप्त व उचित कारण बताया है। जहां तक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 के गुणावगुण का प्रश्न है तो इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने यह माना है कि उक्त नामान्तकरण को मजमेंआम में प्रस्तुत कर तस्दीक नहीं किया गया है तथा नामान्तकरण पर मृतक खातेदार के वारिसान का सजरा अंकित किया हुआ नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी ने मृतक गोरया को निःसन्तान होना बताया है। जबकि अप्रार्थीगण ने उसके 5 पुत्र होना बहस में बताया है, परन्तु नामान्तकरण में 4 ही पुत्रों का नाम अंकित है। इस आधार पर मृतक गोरया के वारिसान की जॉच करवाया जाना अपेक्षित होना मानते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

चौथ के बरवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया है कि मृतक गोरया के जायिज वारिसान की जॉच मजमेंआम व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय में भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 30.10.1977 को भरा गया है। जिसकी जॉच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा 30.10.77 को की गई। उक्त नामान्तकरण पर नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 31.10.1977 को इस आशय की मोहर लगाते हुए कि आज यह नामान्तकरण राजस्व अभियान व मजमेंआम ग्राम सारसोप में पेश हुआ। श्री ऊंकार धूलया वगैराह अनुपस्थित। नामान्तकरण सही भरा हुआ है। अतः स्वीकार है। उक्त नामान्तकरण पर मृतक खातेदार के वारिसान के सजरे का उल्लेख नहीं है और न ही यह स्पष्ट हो रहा है कि वारिसान के संबंध में मजमेंआम में जॉच की गई है। यद्यपि मोहर में इसका उल्लेख किया हुआ है, परन्तु ऊंकार धूलया वगैराह जो कि मृतक खातेदार गोरया के वारिसान थे को भी अनुपस्थित बताया गया है। अर्थात् इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार गोरया के वारिसान की जॉच किस से की गई। इसी तरह अपीलान्ट जो कि प्रथम न्यायालय में रैस्पोडेन्ट थे, में बहस के दौरान मृतक खातेदार गोरया के 5 पुत्र होना बताया गया है। जबकि नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.1977 को 4 पुत्रों के नाम से भरा गया है। इससे भी स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार गोरया के वारिसान की विधिवत जॉच नहीं की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2016 जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने नामान्तकरण संख्या 876 दिनांक 31.10.77 को निरस्त कर तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि मृतक गोरया के जायज वारिसान की जॉच मजमेंआम व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें अर्थात् उक्त निर्णय में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने मृतक गोरया के वारिसान के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं देकर तहसीलदार को पुनः जॉच हेतु प्रेषित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के समक्ष रखने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर